न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2017

RCMS Case No. 2017/00003

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रूपाराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी सेवाडी तहसील बाली		1. भला 2. इन्द्रा पि0 हीराजी 3. सखाराम 4. लच्छाराम पि0 तोगाजी 5. श्रीमति कंकू बेवा तोगा जी 6. खीमा पुत्र जोधा 7. मोटाराम 8. मनाराम पि0 वरदाजी जातिगण मेघवाल निवासीगण टीपरी तहसील बाली 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) व 20 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

प्रार्थना पत्र बाबत मृत व्यक्ति के विरूद्ध मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होकर Nullity होने से खारिज करने बाबत

उपस्थित

श्री पीथाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 22/1/2018

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होकर Nullity होने से खारिज कराने का निवेदन किया। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब का अवसर बन्द किया जाकर बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 6 खीमा पुत्र जोधा मेघवाल निवासी टीपरी तहसील बाली का देहान्त दिनांक 05.10.2010 को ही हो चुका है। इसके प्रमाण स्वरूप मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी खीमा की मृत्यु की जानकारी प्रार्थी को उक्त खीमा की मृत्यु दिनांक से ही बहुत अच्छी तरह से थी, क्योंकि अप्रार्थी खीमा एवं प्रार्थी स्व—जाति बन्धु है तथा एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते एवं पहचानते थे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से विधिक रूप से Nullity होने से पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में ए0आई0आर0 1932 पेज 220, ए0आई0आर0 1946 पेज 20, ए0आई0आर0 1964 पेज 293, ए0आई0आर0 1964 पेज 215, ए0आई0आर0 1989 पेज 43, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 189, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 873 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी को बांध में भूमि का आवंटन किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में बांध की भूमि का आवंटन खारिज किया जाकर पुनः पूर्व की स्थिति बहाल की जानी न्यायोचित है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराते हुए प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं

अति० जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन को अपास्त कर भूमि पुनः बांध के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतः प्रकरण में मुख्य रूप से इस तथ्य का निर्धारण किया जाना है कि क्या मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिपोषणीय है अथवा नही ? हस्तगत मूल प्रार्थना पत्र प्रार्थी रूपाराम द्वारा दिनांक 02.01.2017 को इस न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाकर आवंटन/नियमन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। इस पर अप्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 6 खीमा पुत्र जोधाजी दिनांक 05.10.2010 को ही फौत हो चुके थे। इन तथ्यों की ताईद मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। जिसके अनुसार खीमाराम की मृत्यु दिनांक 05.10.2010 को होना प्रमाणित होता है। इस अनुसार मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के 6 वर्ष पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 6 फौत हो चुका था। इस प्रकार स्पष्टतया मूल प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। ए0आई0आर0 1932 Sind 220 पेज 1932 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 22 - Applicability - Suit or appeal must be pending. Order 22 applies to joinder of legal reprentatives of a person who is properly on the record and dies pending the suit or appeal as the case may be, but not the case where person is dead long before suit or appeal" इसी प्रकार ए0आई0आर0 1946 Sind 20 पेज 1945 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 1 R 10 O. 22 Rr 4, 9 - defendant dead before filling suit - Court cannot grant application under O. 1 R. 10 or O. 22. Rr. 4 and 9" इसी प्रकार ए0आई0आर0 1964 MYSURE पेज 293 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), S. 151, O. 22 R. 4, O. 6 R. 17 - Suit against dead person - No amendment for substitution of another person will be allowed - Suit is a nullity" इसी प्रकार के सिद्धान्त ए0आई0आर0 1964 पेज 215, ए0आई0आर0 1989 पेज 43, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 189, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 873 में प्रतिपादित किए गए है। उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या फौत हो चुका था एवं स्वीकृत रूप से मूल प्रार्थना पत्र मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत करने से वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मूल प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होकर Nullity होने से खारिज कराने का स्वीकार किया जाता है। जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)/20 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 nullity होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली